

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
2. परियोजना निदेशक, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, न्यू अकादमी भवन, श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मु0, जयपुर।
4. अति0 निदेशक, कृषि आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वयक, मु0, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान/निदेशक, समेती (आत्मा) न्यू एकादमी भवन, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, कृषि योजना/विस्तार/प्रशासन/ज0उ0प्र0/पौध संरक्षण/आदान/एटीसी/गु0नि0/प्र0एवंमू0/रसायन/फसलबीमा/सांख्यिकी/एन0एम0ओ0पी0/आर.के.वी.वाई.मु0, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक कृषि पौध व्याधि/बीज परीक्षण, कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, खण्डीय।
9. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार) सीएडी, कोटा।
10. उप सचिव, राजस्थान किसान आयोग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
11. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद/उप निदेशक कृषि एवं पदेन परि0 निदेशक (आत्मा)।
12. उप निदेशक कृषि (विस्तार/अभियांत्रिकी/बीज/सूचना/प्रशासन/सांख्यिकी) मु0, जयपुर।
13. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इं0गां0न0प0, बीकानेर।
14. उप विधि परामर्शी, मु0, जयपुर।
15. सहायक निदेशक कृषि (प्रशासन) मु0, जयपुर।
16. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)।

विषय :- वर्ष 2018-19 की अनुदान मांगों (मांग संख्या 37) पर विधान सभा में चर्चा होने के कारण कार्यालय खुले रखने बाबत।

राजस्थान विधान सभा में दिनांक 26.02.2018 (सोमवार) को कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इस क्रम में विधान सभा से कटौति प्रस्ताव दि0 23.02.2018 को प्राप्त होंगे। जिनका जवाब अविलम्ब प्रेषित किया जाना आवश्यक है। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपका कार्यालय मय आपके अधिनस्थ कार्यालयों सहित दिनांक 23.02.2018 से 26.02.2018 की देर रात तक खुले रखेंगे। आपसे संबंधित कटौति प्रस्तावों पर प्रतिउत्तर फैंक्स नं0-0141-5116231/5116235/5116237/5116240/2227709 पर तत्काल भेजकर संबंधित शाखा प्रभारी को दूरभाष पर सूचित करेंगे। कार्यालय निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के उपरान्त ही बन्द किए जावेंगे। कृपया संभावित कटौति प्रस्ताव भी तैयार कर उनके उत्तर तैयार रखें।

मुख्यालय के कम्पोनेन्ट प्रभारी संबंधित कटौति प्रस्ताव का प्रत्युत्तर (कम्प्यूटर पर फोन्ट साईज 18 में टंकित) निम्न हस्ताक्षरकर्ता से अनुमोदित करवायेंगे। प्रत्येक कटौति प्रस्ताव का उत्तर पृथक-पृथक पृष्ठ पर तैयार कर 5-5 प्रतियों में निम्नांकित प्रारूप में विधान सभा प्रकोष्ठ, मु0 को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे:-

कटौति प्रस्ताव संख्या	
विधान सभा सदस्य का नाम	
कटौति प्रस्ताव	
टिप्पणी	

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि
राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.6(1)वि0स0/गुप-6/कटौति प्रस्ताव/आ0कृ0/2018/4952-5231

दिनांक 21-02-18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक कृषि, राज0, जयपुर।
2. निदेशक उद्यान, उद्यान विभाग, राज0, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर।
4. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम लि0, राज0, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लि0, श्याम छात्रावास के पास, दुर्गापुरा, जयपुर।
6. एनालिस्ट कम प्रोगामर, मु0 जयपुर।
7. कैयर टेकर, कृषि भवन, जयपुर।

(एच0एल0मीना)

सत्र प्रभारी अधिकारी एवं
अति.निदेशक कृषि (आदान)
कृषि आयुक्तालय, राज, जयपुर